

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 401
02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय- पीएमएफबीवाई के परिचालन संबंधी दिशानिर्देश

401. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार पॉलिसी रद्द करने के लिए क्या मानदंड और समय-सीमा है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को जानकारी है कि बीमा कंपनियों द्वारा बिना किसी वैध कारण के अथवा फसल कटाई के समय पॉलिसी रद्द कर दिए जाने के कारण किसानों को उनके दावों का भुगतान नहीं मिल पा रहा है;
- (ग) यदि हां, तो गलत तरीके से रद्द की गई पॉलिसियों को पुनः मंजूरी देने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या गलत तरीके से रद्द की गई पॉलिसियों के मामलों में बीमा कंपनियों पर कोई जुर्माना या वित्तीय दायित्व लगाने का कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार ने बीमा कंपनियों द्वारा किसानों की पॉलिसियों को रद्द किए जाने के संबंध में शिकायतों के लिए कोई मानक समय-सीमा और निगरानी तंत्र निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): एनसीआईपी में नामांकित सभी आवेदनों की गुणवत्ता जांच और सत्यापन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि PMFBY के परिचालन दिशानिर्देशों जैसेकि बीमित की जा रही फसल का बीमा योग्य होना, भूमि का स्वामित्व या किरायेदार या बटाईदार होने का प्रमाण, बीमित भूमि का क्षेत्र भूमि के वास्तविक क्षेत्र के समतुल्य या उससे कम होना, बीमित फसल और बोई गई फसल समान होना और आधार कार्ड के अनुसार किसान का नाम समान होना आदि प्रावधानों का अनुपालन हो। जो आवेदन इन बुनियादी पूर्व-अपेक्षाओं और परिचालन दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हैं या सही विवरण दिए बिना, अधूरे विवरण के या आवश्यक दस्तावेजों के बिना तैयार गए हैं, उन्हें बीमा कंपनियों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके लिए परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान की गई अधिकतम समय-सीमा योजना में किसानों के प्रीमियम/नामांकन के लिए कट-ऑफ डेट से 60 दिन है, जो सामान्यतः खरीफ सीजन में 31 जुलाई है और रबी सीजन में 31 दिसंबर है।

(ख) और (ग): बीमा कम्पनियाँ उन आवेदनों जिनमें दस्तावेज पूरे नहीं हैं, को नामांकन चैनल (CSC, बीमा मध्यस्थ/बैंक) को वापस भेज देती हैं ताकि वे पूरे दस्तावेज उपलब्ध करा सकें/अपलोड कर सकें। यदि वांछित दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाते हैं, तो बीमा कम्पनियाँ आवेदनों को स्वीकार कर लेती हैं अन्यथा उन्हें अस्वीकार कर देती हैं। यदि संबंधित किसान को आवेदनों की अस्वीकृति पर कोई आपत्ति है, तो वह कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन के माध्यम से बीमा कंपनी को इसकी सूचना दे सकता है या वांछित दस्तावेजों के साथ कृषि विभाग के तालुका/तहसील/जिला स्तरीय अधिकारियों या जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (DGRC) से संपर्क कर सकता है ताकि आवेदनों की समीक्षा की जा सके और बीमा कम्पनियों द्वारा अनुमोदन हेतु उन पर पुनर्विचार किया जा सके।

(घ): परिचालन दिशानिर्देशों में, दावों के निपटान में निर्धारित समय-सीमा से अधिक देरी के कारण विलंबित दावा भुगतान का प्रावधान है, तथापि, आवेदनों की अस्वीकृति पर जुर्माना लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि संबंधित जिला और राज्य सरकारों द्वारा आवेदनों की अस्वीकृति का समाधान और समीक्षा किया जाना अपेक्षित है। बीमा कम्पनियाँ केवल उन्हीं आवेदनों को अस्वीकार कर सकती हैं जिन्हें संबंधित राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से अस्वीकृति हेतु अनुमोदित किया गया हो।

(ड.): PMFBY के परिचालन दिशानिर्देशों में योजना के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी के एक तंत्र के रूप में क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट और कृषि विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति और राज्य स्तरीय निगरानी समिति के गठन का प्रावधान है। बीमित/आवेदक किसानों की शिकायतों के निवारण के लिए, योजना के तहत बीमित किसानों के लिए शिकायत निवारण का पहला स्तर कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जो एकल टोल-फ्री नंबर 14447 पर उपलब्ध है। KRPH देश भर में 10 स्थानों पर स्थित 500 से अधिक केआरपीएच अधिकारियों के माध्यम से वेब-पोर्टल और वॉयस कॉल के माध्यम से वर्ष में सभी दिन 24 x 7 उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत विभिन्न शिकायत निवारण समितियों जैसे जिला शिकायत निवारण समिति (DGRC) और राज्य शिकायत निवारण समिति (SGRC) के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र का अपीलीय स्तर भी उपलब्ध है।
